तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/2/15	पत्रावली प्रस्तुत। P.D. पालना अप्राप्त होने से पत्रावली पुनः दिनांक 20.2.15 को पेश हो।	
20/2/15	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी राजस्व कार्य में व्यस्त होनेसे ..... / अतः पत्रावली दिनांक 20/3/15 को पेश हो। P.D. पालना रिपोर्ट प्राप्त शामिल पत्रावली की गई।	
20/3/15	आज्ञा से बकुलाय पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी जनसुनवाई में होने से प्रकरण दि. 17/4/15 को पेश हो।	
17/4/15	बकुलाय पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी जनसुनवाई में होने से प्रकरण दि. 22/5/15 को पेश हो।	
22/5/15	बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने पत्रावली को लोक अदालत में रेफर करने के लिये आवेदन किया। विपक्षी पक्षकार को नोटिस जारी होकर दिनांक 20/6 को पेश हो।	
20.6.15	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत के रूप में लोर अभियान हु माध्यम पर पेश हुई। विभाजन योजना प्रस्ताव प्राप्त, जिस पर पक्ष द्वारा को सुना जाकर प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। विभाजन योजना प्रस्ताव अनुसार आगे पक्षकारान को भूमि लगभग बराबर बराबर ही है अतः विभाजन योजना प्रस्ताव स्वीकार किया जाता। अंतिम डिक्री पारित की जाती है पत्रावली निर्णीत होकर संतथा से कम की निर्णय सुनाया गया।	

सदस्य
लोक अदालत, कोटड़ा

उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ा (जिला उदयपुर)

डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री सत्यनारायण आचार्य (RAS) कोटड़ा

मुकदमा 10/09 सन् ..... सीगह

श्री तेणा पिता अरजना गमेती वगैरह निवासी - सामर

बनाम श्री लाडुरा पिता फौज्या गमेती वगैरह नि० सामर

दावा बाबत् 53, 88, 183, 92-A RTAA.

यह मुकद्दमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने श्री सत्यनारायण आचार्य के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी की ओर से वकील श्री वादी प्रतिवादी स्वयं प्रतिवादी की ओर से वकील ..... की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि दौंगा माण्ड़वा के आ०न० 113/0.18, 116/1/0.13, 120/0.04, 121/0.05, 624/1/0.13, 625/1/0.09 किता 6 रकबा 3.02 बीघा भूमिका जोगिरा, उदीया, लातीया, हुरीया, अणदा, बतीया, गुलिया पिताराना, रेशमी बेवा राणा गमेती, 114/0.06, 115/0.10, 116/2/0.13, 117/1.03, 118/0.08, 119/0.09, 122/1.01, 123/1.11, 124/0.17, 624/2/0.13, 625/2/0.09 किता 11 रकबा 8 बीघा लाडुरा, मीठा, मीठ्ठीलाल कागणा, लुखिया, भमरु पिता फौजिया कंसरा, रवला पिता भाना आ०न० 624/3/0.13, 625/3/0.09, 677/0.02 किता 3 रकबा 1.04 बीघा हुरा, सालुड़ा, बाबुलाल, अनिया पिता पदमा गमेती एवं आ०न० 624/4/0.15, 625/4/0.11 किता 2 रकबा 1.06 बीघा भूमिका तेणा, नेता, नानीया वीरमा पिता अरजना गमेती को खोतेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

और इस वाद के खर्चे लेखे — रुपये की राशि — आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर — प्रतिशत की दर से ब्याज सहित — द्वारा — को दी जाये।

यह आज तारीख 20 मार 06 सन् 2015 को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(सत्य० नारा० आचार्य)
हस्ताक्षर न्यायाधीश
उपखण्ड अधिकारी
पद कोटड़ा (जिला उदयपुर)

सदस्य
लोक अदालत, कोटड़ा

वाद के खर्चे

वादी	रुपये	पैसे	प्रतिवादी	रुपये	पैसे
वाद पत्र के लिये स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालात नामा		
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प			प्रदर्शों के लिये स्टाम्प		
महनताना वकील) पर			महनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाह		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशित की तामील			आदेशित की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		